उ. प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.,
9–ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

संविदा के माध्यम से भर्ती के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड के मुख्यालय एवं नियन्त्रणाधीन अधिष्ठान हेतु निम्नलिखित पदों पर संविदा (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर संहत वेतन पर, चीनी मिल, आसवनी व कोजन प्लान्ट के संचालन/कार्यकलापों का अनुभव रखने वाले सक्षम एवं योग्य अभ्यर्थियों की आवश्यकता हैः–

प्रधान प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनविद्, मुख्य लेखाकार, मुख्य गन्ना अधिकारी व आसवनी प्रबन्धक।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन का निर्धारित प्रारूप/नियम व शर्ते/शैक्षिक योग्यता /अनुभव का विवरण वेबसाइट upsugarfed.org अथवा upsugcorp.com अथवा upcane.gov.in से डाउन लोड किये जा सकते है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन आन–लाइन http://www.req.upsugarfed.org पर दिनांक 28.02.2021 को सांय 5.00 बजे तक अपलोड किया जायेगा। किसी भी अथवा समस्त आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को सुरक्षित होगा।

विज्ञापित पदो की अर्हतायें, अनुभव निम्नवत् हैः–

क. सं.	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1	2	4	5
1.	**प्रधान प्रबन्धक**	''क''–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक/परास्नातक, राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्थान से एम.बी.ए. अथवा बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इन्जी.) अथवा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर/वी.एस.आई, पुणे से शर्करा तकनीक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अथवा सी.ए./आई.सी.डब्लू.ए./आई.सी.एम.ए. अथवा एम.एससी.(एजी) अथवा बी.टेक (केमिकल इंजीनियरिंग) अथवा बी. एससी. के डिग्री के उपरान्त राष्ट्रीय शर्करा	न्यूनतम कुल 12 वर्ष (02 वर्ष का समान पद पर तथा 06 वर्ष का अनुभव विभागाध्यक्ष के रूप में)

		संस्थान, कानपुर/वी.एस.आई पुणे से इण्डस्ट्रियल फरमन्टेशन एण्ड एल्कोहल टेक्नोलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।	
2	मुख्य अभियन्ता	बी.ई./बी.टेक./बी.एससी.(इन्जी.) या समकक्ष	न्यूनतम कुल 10 वर्ष (02 वर्ष का विभागाध्यक्ष के पद पर तथा 04 वर्ष का अनुभव अभियन्त्रण विभाग के द्वितीय पद पर)
3	मुख्य रसायनविद्	राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर/वी.एस. आई, पुणे से शर्करा तकनीक में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।	न्यूनतम कुल 10 वर्ष (02 वर्ष का विभागाध्यक्ष के पद पर तथा 04 वर्ष का अनुभव निर्माण/ उत्पादन विभाग के द्वितीय पद पर)
4	मुख्य लेखाकार	सी.ए./आईसीडब्लूए /इन्टर सी.ए./ इन्टर आईसीडब्लूए/आई.सी.एम.ए./एम.काम.	न्यूनतम कुल 10 वर्ष (02 वर्ष का विभागाध्यक्ष के पद पर तथा 04 वर्ष का अनुभव लेखा/वित्त विभाग के द्वितीय पद पर)
5	मुख्य गन्ना अधिकारी	बी.एससी. (एजी.)	न्यूनतम कुल 10 वर्ष (02 वर्ष का विभागाध्यक्ष के पद पर तथा 04 वर्ष का अनुभव गन्ना विभाग के द्वितीय पद पर)
6	आसवनी प्रबन्धक	बी.टेक (केमिकल इंजीनियरिंग) अथवा बी. एससी.(बायो.) के डिग्री के उपरान्त राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर/वी.एस.आई पुणे से इण्डस्ट्रियल फरमन्टेशन एण्ड एल्कोहल टेक्नोलाजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।	न्यूनतम कुल 10 वर्ष (02 वर्ष का विभागाध्यक्ष के पद पर तथा 04 वर्ष का अनुभव आसवनी निर्माण/उत्पादन विभाग के द्वितीय पद पर)

चयन हेतु प्रकिया एवं शर्ते निम्नवत् हैः—

(1) इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन आन—लाइन .http://www.req.upsugarfed.org पर आवेदन अभिलेखों सहित अपलोड करेगे। सामान्य श्रेर्णी के अभ्यथी को नानरिफन्डेबिल आवेदन शुल्क रू.500/— एवं समस्त आरक्षित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को नानरिफन्डेबिल आवेदन शुल्क रू.250/— आर.टी.जी. एस. के माध्यम से उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ के पक्ष में जमा करनी होगी। आर.टी.जी.एस. के माध्यम से धनराशि जमा करने हेतु खाता संख्या एवं बैंक संबंधी विवरण निम्नवत् हैः—

1. खाताधारक का नाम– **UP CO-OP. SUGAR FACTORIES FEDRATION LTD, LKO**
2. बैक का नाम– **STATE BANK OF INDIA**
3. शाखा– **VIDHAN SABHA MARG, LUCKNOW**
4. खाता संख्या– 39972134804
5. आई.एफ.एस.सी. कोड– **SBIN0060284**

(2) उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई एवं संविदा के आधार पर (कान्ट्रेक्ट बेसिस) पर है। संविदा पर नियोजन सर्वप्रथम 11 माह तक के लिए होगा। आवश्यकता एवं संविदाकर्मी की परफोरमेन्स के आधार पर 30 दिन के अन्तराल के साथ 11–11 माह के अन्य 02 कार्यकाल तक (अधिकतम 03 वर्ष) विस्तारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(3) दिनांक 01.02.2021 को कार्मिकों हेतु पदवार आयु सीमा निम्नवत निर्धारित हैः–

प्रधान प्रबन्धक, मुख्य रसायनविद्, मुख्य अभियन्ता, मुख्य लेखाकार, मुख्य गन्ना अधिकारी एवं आसवनी प्रबन्धक के पदों हेतु दिनांक 01.02.2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष।

(4) कार्मिकों से सम्बन्धित सभी पदों की Job profile वेबसाईट पर अपलोड है, जिसमें पदों का दायित्व एवं कार्यक्षेत्र वर्णित है, जिसे अभ्यर्थी द्वारा स्वीकार करते हुये इस आशय का हस्ताक्षरित सहमति पत्र, दिये गये प्रारूप (प्रारूप–ख) पर आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा।

(5) संविदाकर्मी का एक माह का वेतन परफारमेन्स गारण्टी के रूप में उ.प्र सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ में सुरक्षित रखा जायेगा। इसका भुगतान परफारमेन्स बेस्ड/उत्पादकता आधारित होगा। इस धनराशि की कटौती संविदाकर्मी के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

(6) संविदा दोनो पक्ष की ओर से 15 दिन की नोटिस अथवा 15 दिन के भुगतान की नोटिस पर समाप्त हो सकेगी।

(7) संविदा अभ्यर्थी यदिः–

(क) फर्जी अभिलेख पर सेवा प्राप्त करेगा तो उसकी संविदा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा उसके विरूद्व धोखाधडी का मुकद्मा भी दर्ज कराया जायेगा।

(ख) संविदा के स्थान पर सेवा के अतिरिक्त अन्यत्र कही सेवा करता पाया जायेगा तो उसे तुरन्त सेवा से बाहर कर संविदा अवधि में जो पारिश्रमिक प्राप्त किया गया होगा उसे भी वसूला जायेगा।

(ग) प्राविधानित सेवा अवधि में अभ्यर्थी के कार्यकलापों से संस्था को हानि होने की दशा में क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली सिक्योरिटी धनराशि से अधिक होने पर अभ्यर्थी द्वारा उसकी भरपाई की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति

की वसूली का अधिकार 'भू–राजस्व के बकाये की भॉति' संघ मुख्यालय, चीनी मिल एवं आसवनी इकाई अधिष्ठान का होगा।

(8) संविदा के अनुबन्ध में इंटीग्रिटी क्लाज रखा जायेगा तथा अगर उसके द्वारा किसी प्रकार की धोखाधडी या अनियमितता की जाती है, तो उस संविदा की अवधि में लिया गया संपूर्ण पारिश्रमिक वसूल कर लिया जायेगा तथा संविदा अवधि में पहॅुचायी गयी अन्य आर्थिक क्षति को भी वसूला जायेगा एवं संविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(9) संविदा पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की पारिवारिक, प्रशासनिक या राजनैतिक सिफारिश करवाता है या किसी माध्यम से संस्तुति करायी जाती है तो ऐसी सिफारिश प्राप्त होते ही उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।

(10) चयनित अभ्यर्थी की तैनाती उ.प्र सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ की 24 संचालित चीनी मिलों/08 आसवनियों अथवा मुख्यालय में कहीं भी की जा सकती है और संविदा अवधि में आवश्यकतानुसार एक मिल/आसवनी से दूसरी मिल/आसवनी में स्थानान्तरित किया जा सकता है, इसका अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

(11) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व रू. 100.00 के नान–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

(12) ई.पी.एफ. एवं अन्य कटौतियॉ नियमानुसार की जायेंगी।

(13) संविदा पर तैनात अभ्यर्थी को संघ में किसी नियमित रिक्ति पर आमेलन का अधिकार नहीं होगा।

(14) भविष्य में नियुक्ति हेतु संघ द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने पर कार्मिक द्वारा की गई संविदा की सेवा को, किसी प्रकार प्राथमिकता/वरीयता नहीं दी जायेगी। केवल अनुभव की गणना में उसकी उक्त सेवावधि को सम्मिलित किया जा सकता है।

(15) संविदा पर सेवायोजन सुसंगत नियमों, आदेशों एवं शर्तो के अधीन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के चयन में आरक्षण सम्बन्धी शासकीय नियम लागू होगें। उपरोक्त पदों पर चयन/निरस्तीकरण के समस्त अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेंगें।

(16) अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी पद के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व प्रत्यावेदन संघ को प्रेषित किये हैं, उन्हे भी पुनः इस विज्ञापन के तहत आवेदन करना होगा।

(17) इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट http://www.req.upsugarfed.org पर आवेदन आन–लाइन प्रदत्त प्रारूप पर भरकर अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें। अपलोड किये गये समस्त प्रमाण पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहमति पत्र की

स्व–हस्ताक्षरित प्रति के साथ प्रत्येक प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि साक्षात्कार की नियत तिथि व समय पर प्रस्तुत करेंगे। साक्षात्कार की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट upsugarfed.org अथवा upsugcorp.com अथवा upcane.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(18) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(19) विज्ञापित पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है।

(20) संविदा से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में समस्त निपटारे उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–70 के अन्तर्गत निबन्धक/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जायेंगे।